

# जुगसलाई नगरपालिका का कार्यालय, जुगसलाई।

## प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)

सब के लिये आवास (शहरी) योजना के दिशा-निर्देश, 2015 के निर्देशालोक में लाभार्थी-आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण के लिए भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा संयुक्त रूप से सहायता प्रदान की जाती है।

जुगसलाई नगरपालिका क्षेत्र के वार्ड नं० 01 से वार्ड नं० 14 तक शहरी क्षेत्र के आमजनों से प्रपत्र "ख" में आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता है।

लाभुकों के संबंध में पात्रता निम्नवत है:

1. लाभार्थी अथवा उसके परिवार के किसी भी सदस्य के नाम से पुरे भारतवर्ष में अपना पक्का मकान न हो। (शपथ पत्र के साथ)
2. लाभार्थी का पारिवारिक वार्षिक आय से कम हो। (शपथ पत्र के साथ)

(पात्रता एवं अन्य की अधिक जानकारी के लिए आप प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के दिशानिर्देश व Website देखें)

सभी आमजन, सभी शहरी क्षेत्र के आवाम को सूचित किया जाता है कि निम्नांकित पात्रता/दस्तावेजों की प्रति के साथ कार्यालय कार्य अवधि में दिनांक:- 18.03.2017 तक आवेदन पत्र स्वीकार किये जायेंगे।

(क) जमीन सं सम्बंधित दस्तावेज/Deed/केवला/भू-स्वामित्व पत्र (ख) शपथपत्र (ग) आधार कार्ड (घ) बैंक पासबुक- खाता आधार से लिंक (ङ) पासपोर्ट साईज फोटो (च) आवेदन/ऑनलाईन आवेदन की पावती।

(सत्यापन हेतु उपरोक्त के मूल प्रति लाना आवश्यक है)

नोट:- आवेदन ऑनलाइन भी किया जा सकता है, ऑनलाइन आवेदन देने हेतु [www.pmaymis.gov.in](http://www.pmaymis.gov.in) पोर्टल से आवेदन कर सकते हैं या लाभुक नजदीकी CSC (Common Service Centre) से भी आवेदन दे सकते हैं।

जिन लाभुकों ने ऑनलाइन आवेदन किया है या कर रहे हैं, आवेदन की पावती के साथ ऊपर दिए गए निम्नांकित दस्तावेज को जुगसलाई नगरपालिका कार्यालय में दिनांक:- 18.03.2017 तक अवश्य जमा कर दें।

विशेष पदाधिकारी,  
जुगसलाई नगरपालिका,  
जमशेदपुर।

ज्ञापांक:- 319

दिनांक:- 15/03/17

प्रतिलिपि संपादक,

*दिलीप झा* / *समाप्त एवबट*

को सूचनार्थ एवं एक दिन सरकारी दर पर सम्भावित न्यूनतम स्थान (12 CM X 2CM) में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

*For* *15/03/17*  
विशेष पदाधिकारी,  
जुगसलाई नगरपालिका,  
जमशेदपुर।